२५/१
२०

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस वकील पक्षकारों ने मौका पर्चा रिपोर्ट पर सहमति दी। हमने वकील पक्षकारों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित आराजीयात का पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था। विवादित आराजीयात का पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था। विवादित आराजीयात ख० नं० 932/3 व 933/2 में आने जाने हेतु रास्ता ख० नं० 931/3 व 933/1 में था। जिसको मौके पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों में समझाइस किया जाकर आपसी राजीनामें से खुलवाया गया। मौका पर्चा दिनांक 29.10.2020 अनुसार पक्षकारों के बीच मौके पर अब कोई विवाद नहीं है विवादित रास्ते पक्षकारों की सहमति से आपसी राजीनामे की भावना से खोले गए हैं प्रकरण के वादी - प्रतिवादी आगे नहीं चलाना चाहते। अतः पक्षकारों की सहमति के आधार पर राजीनामे की भावना से प्रार्थना पत्र 251(A) इसी स्तर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की ~~[illegible]~~ जाकर दाखिल दफ्तर हो यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। C.A.	
	(मोहर सिंह मीना) सहायक कलेक्टर मुख्यालय टोंक	